रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/97 REGISTERED NO. DL—33001/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 18, 1997 (आश्विन 26, 1919)
No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 18, 1997 (ASVINA 26, 1919)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	665
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	961
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	5
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1559
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सारांश स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)।	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपलब्धियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचना	907
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	1451
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं।	3389
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	339
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को बताने वाला अनुपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	665
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	961
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	5
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1559
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 2—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 of Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	907
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	1451
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3389
PART IV—Advertisements and Notices issued by private Individuals and private Bodies	339
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc., both in English and Hindi	*

*Folios not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिसर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

डाक जीवन बीमा निदेशालय

नई दिल्ली-110021, दिनांक 20 अगस्त 1997

सं. 26-82/89-एल आई.—राष्ट्रपति एतद्द्वारा यह निदेश देते हैं कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए बीमे की अधिकतम सीमा 10,000 रु. (दस हजार रुपये केवल) की मौजूदा सीमा, जैसा कि डाकघर लोगा निधि नियमावली के नियम 3 के नोट 2 में निर्धारित किया गया है, से बढ़ाकर 1,00,000 रु. (एक लाख रुपये केवल) कर दी जाए जोकि नीचे दी गई अन्य शर्तों के अध्यधीन होगी ।

2. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए योजना को "शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष योजना" कहा जाए और इसे पीओआईएफ नियमावली के अंतर्गत मौजूदा नियम 3 के नोट 2 के स्थान पर नियम 14(3) के बतौर शामिल किया जाए और नियम 3 के नोट 2 को निकाल दिया जाए ।

3. अतएव पीओआईएफ नियमावली को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :—

(क) नियम 3 के नीचे मौजूदा नोट को निकाल दिया जाए ।

(ख) मौजूदा नियम 14 (1) और 14 (2) में नियम 14 (3) को निम्नानुसार जोड़ा जाए :—

"14 (3) (क) :—शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का "शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष योजना" के अन्तर्गत बीमा किया जाएगा और उन्हें उनकी विकलांगता की सही प्रकृति तथा उसकी सीमा का निर्धारण करने और इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट विशेष चिकित्सा परीक्षण करवाना पड़ेगा । चिकित्सा रिपोर्ट में विशेष रूप से निम्नलिखित का समावेश होगा :—

(1) विकलांगता की सीमा निर्धारित करने वाली एक रिपोर्ट (उदाहरण के लिए विकृति/एक अथवा दोनों अंगों का न होना आदि) ।

(2) विकलांगता का कारण अर्थात् जन्मजात अथवा जन्मोपरान्त ।

(3) प्रस्तावक की वर्तमान पर विकलांगता का प्रभाव तथा क्या जीवन को खतरा बढ़ रहा है या घट रहा है ।

"जहां चिकित्सा प्राधिकारी ने यह घोषित कर दिया है कि विकलांगता के कारण जीवन को खतरा बढ़ रहा है, वहां ऐसे जीवन का बीमा नहीं किया जाएगा और प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा ।

"इसके अलावा यदि प्रस्तावक ने चिकित्सा आधार पर पिछले 6 माह में एक साथ 6 दिन से अधिक का अवकाश लिया है अथवा/तथा पिछले 2 वर्ष के दौरान उसका कोई आपरेशन हुआ है या वह किसी भी कारण से अस्पताल में भर्ती रहा है तो ऐसे व्यक्ति का बीमा नहीं किया जाएगा और बीमा-प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा ।

"14 (3) (ख) : निम्नलिखित में से किसी एक विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति "विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष योजना" के अन्तर्गत बीमा के लिए पात्र माना जाएगा :

(1) नेत्रहीनता

(2) बहरापन

(3) गूंगापन

(4) आर्थोपीडिक विकलांगता

(5) बौनापन

(6) कूबड़ापन

(7) अंगभंग

(8) पोलियो के कारण लकवा या दुर्बलता या विकृति

(9) गैर-तंत्रिका संबंधी मूल की कोई अन्य विकृति

"14 (3) (ग) : इस योजना के अंतर्गत की गई पालिसियों के संबंध में प्रीमियम निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा :—

	देय मासिक प्रीमियम
(क) जन्मजात	
नेत्रहीनता/बहरापन/गूंगापन/एक अंग की आर्थोपीडिक विकलांगता एक अंग न होना/बौनापन/कुबड़ापन	सामान्य तालिकाबद्ध प्रीमियम
(ख) गैर-जन्मजात	
नेत्रहीनता/बहरापन/एक अंग की आर्थोपीडिक विकलांगता/एक अंग का न होना	"X" आयु वाले से संबंधित तालिका के अनुसार प्रीमियम, आयु पर लागू (X + 3)।
(ग) जन्मजात/गैर जन्मजात	
दोनों अंगों में आर्थोपीडिक विकलांगता, दोनों अंग न होना (मंदबुद्धि व्यक्ति जिनकी मेंटल आयु 14 वर्ष या अधिक हो), पोलियो के कारण दुर्बलता या विकृति या लकवा अथवा गैर-जन्मजात मूल की अन्य कोई विकृति ।	"X" आयु वाले से संबंधित तालिका के अनुसार प्रीमियम, आयु पर लागू (X + 5) ।

"14 (3) (घ) : पालिसी की परिपक्वता की तारीख से पूर्व बीमाधार की मृत्यु के कारण पालिसी के द्वारा दावे का रूप लेने की स्थिति में, नामिती या कानूनी वारिस को देय धनराशि, जैसा भी मामला हो, निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी :—

(क) यदि बीमादार की मृत्यु पालिसी की स्वीकृति की तारीख से एक वर्ष पूर्ण होने से पूर्व हो जाती जाती है तो बीमित राशि का केवल 35 प्रतिशत और उसका ब्याज ही देय होगा ।

(ख) यदि बीमादार की मृत्यु पालिसी की स्वीकृति की तारीख के दो वर्ष पूर्ण होने से पूर्व, किन्तु एक वर्ष पूर्ण होने से पूर्व नहीं, हो जाती है तो बिमित राशि का कोल 60 प्रतिशत अंश ही ब्याज सहित देय होगा ।

(ग) यदि बीमादार की मृत्यु पालिसी की स्वीकृति की तारीख के तीन वर्ष पूर्ण होने से पूर्व, किन्तु दो वर्ष पूर्ण होने से पूर्व नहीं, हो जाती है तो केवल बीमित राशि का 90 प्रतिशत भाग ही ब्याज सहित देय होगा ।

(घ) यदि बीमादार की मृत्यु तीन वर्ष के उपरान्त होती है तो पूरी बीमित राशि ब्याज सहित देय होगी ।"

4. ये संशोधन 1-9-1997 से प्रभावी होंगे ।

कर्नल कमलेश्वर प्रसाद
उप महाप्रबंधक

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 सितम्बर 1997

संकल्प

एफ. सं. 13-9/94-पी. एफ.-4—इस मंत्रालय के दि. 30-08-1995 और दिनांक 31-12-1996 के समसंख्य संकल्प के अनुसरण में भारत सरकार ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी. पी. ई. पी.) मिशन के सामान्य परिषद में निम्नलिखित संसद सदस्यों को नामित करने का निर्णय लिया है :—

1. कुमारी ममता बनर्जी
संसद सदस्य, लोक सभा ।

2. डा. के. पी. रामालिंगम
संसद सदस्य, लोक सभा ।

3. डा. बी. बी. दत्ता
संसद सदस्य, राज्य सभा ।

उपर्युक्त सदस्यों का कार्यकाल संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा उन्हें नामित किए जाने की तिथियों से दो वर्षों तक होगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति डी. पी. ई. पी. मिशन की सामान्य परिषद के अध्यक्ष और सभी सदस्यों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना हेतु संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

आर. एस. पाण्डेय
संयुक्त सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त 1997

सं. 8/11/97-ट्रांस. I—विद्युत मंत्रालय के संकल्प सं. 6/2/97-ट्रांस. का आंशिक रूप से संशोधन करते हुए, ग्रिड कार्पोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष की जगह पर पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के सदस्य के रूप में नामांकित किया जा सकता है ।

अन्य निर्वाचक सदस्य वही रहेंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त संकल्प बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सरकार सिक्किम, दामोदर घाटी निगम, दुर्गापुर परियोजना लि. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, पावरग्रिड कार्पोरेशन लि., केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार को प्रेषित किया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

जे. वासुदेवन,
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

DIRECTORATE OF POSTAL LIFE INSURANCE
(DEPARTMENT OF POST)

New Delhi-110021, the 20th August 1997

No. 26-82/89-LI.—The President hereby directs that the maximum limit of Insurance for Physically Handicapped persons shall be increased to a maximum sum assured of Rs. 1,00,000/- (Rupees one lakh only) from existing limit of Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand only) as laid down in Note 2 of Rule 3 of Post Office Insurance Fund Rules subject to various other conditions detailed hereunder.

2. The scheme for Physically Handicapped persons shall be called 'Special Scheme for Physically Handicapped' and shall be included as Rule 14(3) under the POIF Rules instead of present Note 2 of Rule 3 of Post Office Insurance Fund Rules which shall stand deleted

3. Consequently, the POIF Rules shall be amended as follows :

(a) Existing Note 2 below Rule 3 shall be deleted.

(b) Rule 14(3) shall be added to existing Rule 14(1) and Rule 14(2) as follows :
"14(3) (a) : Physically Handicapped persons shall be insured under the 'Special Scheme for Physically Handicapped' and shall have to undergo a special medical examination by the medical Authorities specified for the purpose in order to determine the exact nature and extent of their handicap and its bearing on the life being insured. The medical report shall include in particular :

(i) A report quantifying the extent of handicap (for example, deformity/loss of one limb, both limbs, etc).

(ii) Cause of handicap, i.e., congenital or post-congenital.

(iii) The effects of the handicap on longevity of the proposer and whether the life risk is increasing or decreasing.

"Provided that where such Medical Authority has declared that the life risk is increasing on account of the handicap, such life shall not be insured and the proposal shall be rejected.

"Provided further that if the proposer has taken leave on medical grounds for more than six days at a stretch in the last six months or/and has undergone any operation or hospitalisation fror any reason whatsoever during the last two years, such life shall not be insured and the proposal shall be rejected.

"14(3) (b) : Persons suffering from any of the following handicaps shall be eligible to be considered for Insurance under special scheme for 'Handicapped people' :

(i) Blindness
(ii) Deafness
(iii) Dumbness
(iv) Orthopaedic handicap
(v) Midgets
(vi) Hunchbacks
(vii) Loss of limbs
(viii) Paralysis or weakness or deformity due to Polio.
(ix) Any other deformity due to non-neurological origin.

"14(3) (c) : Premium in respect of policies taken under the scheme will be determined as under :

	Monthly premium Payable
(a) Congenital	
Blindness/deafness/ dumbness Orthopaedic handicap of one Limb/ loss of one limb/Midgets/Hunchback.	Normal tabular premium
(b) Non-Congenital	
Blindness/deafness/ orthopaedic handicap of one limb/loss of one limb.	premium applicable to age (X+3) as per relevant table for life aged 'X'.
(c) Congenital/Non-Congenital	
Orthopaedic handicap of both limbs, loss of both Limbs (Mentally retarded having mental age of 14 and above), weakness or deformity or paralysis due to polio or any other deformity of non-neurological origin.	Premium applicable to age (X+5) as per relevant table for life-aged 'X'.

"14(3)(d) : In the event of the policy becoming a claim on account of death of the insured before the date of maturity, the amount payable to the nominee or the legal heir, as the case may be, shall be determined as follows :

(a) In case the death of the insured takes place before the completion of one year from the date of acceptance of the policy, only thirty five percent of the sum assured and the accrued bonus shall be payable.

(b) In case the death of the insured takes place before the completion of two years bue not before the completion of one year from the date of acceptance of the policy, only sixty percent of the sum assured and the accrued bonus shall be payable.

(c) In case the death of the insured takes place before the completion of three years but not before the completion of two years from the date of acceptance of the policy, only ninety percent of the sum assured and accrued bonus shall be payable.

(d) In case the death of the insured takes place after the completion of three years, full sum assured alongwith accrued bonus thereon shall be payable."

4. These amendments shall come into force with effect from 1-9-97.

Col. KAMLESHWAR PRASAD,
Dy. General Manager

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 8th September 1997

RESOLUTION

F. No. 13-9/94-PN.IV.—In pursuance of this Ministry's Resolution of even number dated 30-08-1995 and 31-12-1996, Government of India have decided to nominate the following Members of Parliament on the General Council of the District Primary Education Programme (DPEP) Mission :

1. Kumari Mamta Banerjee,
   Member of Parliament, Lok Sabha.
2. Dr. K. P. Ramalingam,
   Member of Parliament, Lok Sabha.
3. Dr. B. B. Dutta,
   Member of Parliament, Rajya Sabha.

The tenure of office of the above members would be two years from the dates of their nominations by the Ministry of Parliamentary Affairs.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and all members of the General Council of the DPEP Mission.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazetted of India for general information.

R. S. PANDEY, Jt. Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 29th August 1997

No. 8/11/97-Trans.—In partial modification of this Ministry of Power Resolution No. 6/2/97-Trans ,the Chairman and Managing Director, Grid Corporation of Orissa Ltd. may be nominated as member of Eastern Regional Electricity Board in place of the Chairman, Orissa State Electricity Board.

The other constituent member's remain the same.

ORDER

Ordered that the above Resolution be communicated to the Government and State Electricity Boards of Bihar, Orissa, West Bengal and State Govt. Sikkim, Damdoar Valley Corporation, Durgapur Projects Ltd., National Thermal Power Corporation, National Hydroelectric Power Corpn. Powergrid Corporation Ltd., Central Electricity Authority, Eastern Regional Electricity Board, All Ministries of Govt. of India. The Prime Minister's Office, the Secretary to the President, the Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for General information.

J. VASUDEVAN Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1997
Printed by the Manager, Govt of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1997.